"GREATER PARTICIPATION FOR A STRONGER DEMOCRACY" "सुदृढ़ प्रजातंत्र हेतु वृहत्तर सहभागिता"	"कोई मतदाता छूटे नहीं" No voter to be left behind"

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

(जिला निर्वाचन शाखा)

प्रिन्टिंग प्रेस मालिकों एवं राजनीतिक दलों के लिए सूचना

पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी छोटे–बड़े प्रिन्टिंग प्रेस मालिकों को सूचित किया जाता है कि, भारत निर्वाचन आयोग का प्रेस नोट संख्या ECI/PN/23/2019 दिनांक 10.03.2019 के द्वारा लोक सभा निर्वाचन–2019 की घोषणा की गई है, घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम– 1951 की धारा 127A के तहत पोस्टर एवं पम्पलेट के मुद्रण के सन्दर्भ में कतिपय प्रतिवंध है, जो निम्नवत् है –

(I) पोस्टर पम्पलेट पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पता दर्ज होना अनिवार्य है।

(II) प्रकाशक से घोषणा पत्र (दो प्रति में) प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसपर स्वयं प्रकाशक का हस्ताक्षर एवं दो अन्य व्यक्ति (जो उसे पहचानते हों) द्वारा अभिप्रमाणित रहें और मुद्रण कार्य समाप्ति के दो दिनों के अन्दर प्रकाशक के घोषणा पत्र की एक प्रति के साथ, प्रकाशित सामग्री की प्रति, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजी जानी अनिवार्य होगी।

उक्त प्रावधान का उल्लंघन दण्डनीय है, जिसके अन्तर्गत कारावास अथवा दो हजार रूपये जुर्माना या दोनों हो सकता है।

ह०/-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक: 485 / जि.नि. जमशेदपुर, दिनांक : 18 / 03 / 2019

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्वी सिहभूम जमशेदपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त सूचना को स्थानीय देनिक हिन्दी/अंग्रेजी समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं डी.ई.ओ. के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, धालभुम/घाटशिला/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी विशेष पदाधिकारी (JNAC/MNAC/Jugsalai Nagarpalika/ Chakulia Nagar Panchayat), पूर्वी सिंहभूम जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।